

# न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(श्री घनश्याम जोशी तहसीलदार बयाना )

प्र०स०  
०८ ) १९

ता० रजु:  
३-६-१९

किस्म मुकदमा  
९१ C & A ct

निर्णय दिनांक  
१२-६-१९

सरकार बनाम श्री हरभाग पुत्र श्री मुन्ना जाति धाकड  
निवासी दहगावा तह० बयाना  
अन्तर्गत धारा ९१ एल आर एक्ट

## निर्णय

पत्रावली पेश हुई । पटवारी हल्का दहगावा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है । कि ग्राम दहगावा के खसरा नं १८७ रकवा ०.७९ में से रकवा ०.०२ किस्म भूमि धाकड पर सम्वत् २०७६ में श्री हरभाग पुत्र मुन्ना जाति धाकड नि० दहगावा तहसील बयाना ने मकान बाड कर अतिक्रमण कर लिया है ।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा ९१ एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/अप्रार्थियों को जरिये नोटिस तलव किया गया । जो शामिल मिसिल है । अप्रार्थी उपस्थित / अनुपस्थित हमने पत्रावली को अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी/अप्रार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जावे । अतिक्रमी द्वारा राजकीय सिविल चक्र / चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है । अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है ।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नं १८७ रकवा ०.०२ वाके ग्राम दहगावा से बेदखल किया जाता है । लगान ..... को ०.०२ ५० गुणा पैनल्टी राशि ५०० से दण्डित किया जाता है । पैनल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे । पैनल्टी वसूली कर खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध निर्माण ध्वस्त कर बेदखली बावत हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हो । निर्णय आज दिनांक १२-६-१९ को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली का वाक लावक  
ग. जे. सं. ०४ के वेव नं. ५  
दिनांक २१.६.१९ को वेव २०१९-२०  
वेवस्टो सं. ५ फसल नीलामी  
को जा चुको है ।

तहसीलदार  
बयाना

तहसीलदार  
बयाना